

108  
107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1559-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 16-4-2015  
पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2014-15.

कालूराम आत्मज श्री गंगाराम दांगी,  
निवासी एवं कास्तकार ग्राम झिरनिया,  
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन  
द्वारा जिलाध्यक्ष जिला भोपाल म0प्र0  
2-गजोडीबाई पत्नि श्री मांगीलाल  
निवासी ग्राम झिरनिया,  
तहसील हुजूर जिला भोपाल


.....अनावेदकगण

श्री जी0एस0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-4-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।





2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये कलेक्टर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम झिरनिया तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 90/40/1/12 नवीन खसरा क्रमांक 386, 387, 388 रकबा 0.300, 0.530, 0.388 हेक्टेयर भूमि का पट्टा कृषि प्रयोजन हेतु अनावेदक क्रमांक 2 के पिता स्व० हेमा को दिया गया था और बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के उक्त भूमि का विक्रय कालूराम को किया गया है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर संहिता की धारा 182(2) के अन्तर्गत अनावेदक क्रमांक 2 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त कारण बताओं सूचना का जबाव अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 17-9-14 को आदेश पारित कर यह पाते हुये कि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय नहीं किया गया है और व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 70-ए/2003 में दिनांक 23-12-2011 को आदेश पारित कर विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर दिया गया है। अनावेदक को जारी कारण बताओं सूचना पत्र निरस्त करते हुये अनावेदक क्रमांक 2 को कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया गया। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 16-04-15 को आदेश पारित किया जाकर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा आवेदक के पक्ष में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है तो इस संबंध में आवेदक की कोई गलती नहीं है और यह उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमांक 2 का था, इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दशम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश नहीं होने से उसके आधार पर आदेश पारित





करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा दिनांक 2-1-1993 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क़य की जाकर वह उस पर लगातार आधिपत्यधारी एवं उसका स्वत्व है, इस स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये गये हैं जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क़य की जाकर नामान्तरण कराया गया है । इस संबंध में आयुक्त द्वारा दिनांक 15-7-09 को आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165(7)(ख) के उल्लंघन में प्रश्नाधीन भूमि क़य की गई है और उक्त विक्रय पत्र को माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है । इस प्रकार आवेदक जिस कार्यवाही से प्रभावित है उसका निराकरण आयुक्त द्वारा दिनांक 15-7-2009 को किया जा चुका है । वर्तमान में जो कार्यवाही होना है वह कलेक्टर एवं मूल पटटेदार के मध्य की है, जिसमें आवेदक के किसी प्रकार के कोई हित निहित नहीं है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी उपरोक्त कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-4-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।



  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर